Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 76-2025/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 29, 2025 (VAISAKHA 9, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 अप्रैल, 2025

संख्या 4/66/2023–3जीइसी.– हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014 (2014 का 22) की धारा 52 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबन्धन समिति के सदस्यों के सहयोजन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम।

1. ये नियम हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबन्धन समिति (सदस्यों का सहयोजन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

परिभाषाएं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014 (2014 का 22);

(ख) ''प्रस्तावक'' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबन्धन समिति के किसी वार्ड से निर्वाचित किया गया है तथा सहयोजित करने के लिए किसी व्यक्ति का प्रस्ताव करता है;

(ग) ''प्ररूप'' से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(घ) ''व्यक्ति का प्रवर्ग'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रवर्गों का व्यक्ति;

(ङ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(च) ''वार्ड'' से अभिप्राय है, वार्ड जिससे हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबन्धन समिति का निर्वाचित सदस्य निर्वाचित किया गया है।

(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु इन नियमों में अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें दिए गए है।

सहयोजन के लिए निर्वाचित सदस्यों की बैठक।

3. (1) अधिनियम की धारा 4 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों से सदस्य (सदस्यों) के सहयोजन के प्रयोजन के लिए, अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार आयुक्त द्वारा निर्वाचित सदस्यों की बैठक नीचे विस्तृत ब्यौरों के अनुसार बुलाई जाएगी, अर्थात् :–

(क) दो सदस्य सिख महिलाओं में से सहयोजित किए जाएंगे;

(ख) तीन सदस्य अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों में से सहयोजित किए जाएंगे:

परन्तु प्रत्येक एक सदस्य अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों से सहयोजित किया जाएगा तथा तीसरा सदस्य दोनों में से सहयोजित किया जाएगा।

(ग) दो सदस्य सिख सिद्धान्तों का व्यापक ज्ञान रखने वाले सामान्य प्रवर्ग से सहयोजित किए जाएंगे;

(घ) दो सदस्य राज्य में पंजीकृत ''सिंह सभा'' के प्रधानों में से सहयोजित किए जाएंगे;

(2) बैठक की गणपूर्ति कम से कम इक्कीस निर्वाचित सदस्यों से होगी।

समूहों का गठन।

4. (1) बैठक में उपस्थित सभी निर्वाचित सदस्य स्वयं में से चार समूह बनांएगे। नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (क), (ग) तथा (घ) में यथा विहित सदस्यों के सहयोजन के लिए प्रत्येक तीन समूह सदस्यों की समान संख्या से मिलकर बनेंगे और नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन तीन सदस्यों के सहयोजन के लिए चौथा समूह परिशिष्ट 1 में यथा उपबन्धित, सभी शेष सदस्यों से मिलकर बनेगा।

(2) ऐसे मामले में कि चालीस निर्वाचित सदस्यों का एक या एक से अधिक सदस्य अनुपस्थित है तो चार समूहों के सदस्यों की संख्या **परिशिष्ट 1** के अनुसार यथानुपात कम हो जाएगी।

(3) यदि निर्वाचित सदस्य पूर्वोक्त नियम 4 के उपनियम (1) की अपेक्षा के अनुसार एक या एक से अधिक समूह स्वैच्छिक रूप में बनाने में असमर्थ हैं, तो आयुक्त ड्रा ऑफ लाट्स के माध्यम से ऐसे समूह (समूहों) का गठन करेगा। इस सम्बन्ध में आयुक्त के सभी निर्णय अन्तिम होंगे।

(4) प्रत्येक समूह का आयु में वरिष्ठतम सदस्य उनका नेता होगा। प्रत्येक समूह का नेता आयुक्त को **प्ररूप 1** में अपने समूह के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

समूह (समूहों) की सहमति/बहुमत द्वारा सहयोजन

5. आयुक्त नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (क), (ग) तथा (घ) में वर्णित प्रवर्गों के लिए सदस्यों के रूप में सहयोजित किए जाने वाले दो पात्र व्यक्तियों की सूची विधिवत हस्ताक्षरित **प्ररूप–3** में अपने–अपने समूहों में साधारण बहुमत रखने वाले सदस्यों द्वारा प्रस्तुत करने के लिए तीन समूह के नेताओं को बुलाएगा। नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में वर्णित प्रवर्ग के लिए आयुक्त नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) जिसमें इसका परन्तुक शामिल है, के अनुरूप रीति में सदस्यों के रूप में सहयोजित किए जाने वाले तीन पात्र व्यक्तियों की सूची **प्ररूप–3** में प्रस्तुत करने के लिए तथा समूह के साधारण बहुमत द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित समूह के नेता को बुलाएगा।

नियम 3(1)(क), 3(1)(ग) तथा 3(1)(घ) के अधीन समूह (समूहों) के लिए मतदान।

6. (1) यदि एक या एक से अधिक समूह का नेता (नेताओं) उपरोक्त नियम 5 के अनुसार अपनी/अपनी सूची (सूचियां) प्रस्तुत करने में असमर्थ है/हैं, तो सहयोजन ऐसे समूह (समूहों) के लिए मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

(2) सम्बन्धित समूह का प्रत्येक सदस्य उनके समूह के प्रवर्ग के लिए सहयोजन हेतु **प्ररूप–2** में केवल एक पात्र उम्मीदवार को प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

(3) आयुक्त सम्बन्धित समूह के प्रत्येक सदस्य के प्रत्येक समूह के लिए सभी पात्र उम्मीदवारों के सूचीकरण के लिए प्रस्तावित प्रत्येक नाम की पात्रता की संवीक्षा करेगा तथा मतपत्र तैयार करेगा।

(4) प्रत्येक सदस्य के पास अपने अधिमत उम्मीदवार के नाम के सामने टिक–मार्क (✓) करके एक मत डालने का अधिकार होगा। आयुक्त उम्मीदवार का प्रस्ताव अस्वीकार करेगा यदि वह अधिनियम की धारा 10 में विनिर्दिष्ट अपेक्षित योग्यताओं को पूरा नहीं करता है।

(5) वह सम्बन्धित समूह के प्रत्येक सदस्य को एक मतपत्र मुहैया करेगा। यदि कोई सदस्य एक उम्मीदवार से अधिक के लिए टिक (✓) करता है, तो उसका मत अमान्य घोषित करेगा।

(6) सभी मान्य मतों की गणना करने के बाद, आयुक्त सहयोजित सदस्यों के रूप में सभी अन्यों से अधिक मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों को घोषित करेगा।

(7) यदि नियम 6 के उपनियम (6) का सही उपयोजन मतों की समानता के कारण एक या दोनों उम्मीदवारों के सहयोजन के परिणामिक नहीं है, तो आयुक्त समान मतों वाले उम्मीदवारों में से आवश्यकता अनुसार एक बार या दो बार ड्रा ऑफ लाट्स निकालेगा चाहे सहयोजन को पूरा करने के लिए मतों की संख्या शून्य हो।

नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन समूह के लिए मतदान

7. (1) समूह के प्रत्येक सदस्य के सहयोजन के लिए **प्ररूप–2** में केवल एक पात्र उम्मीदवार का प्रस्ताव करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

(2) यदि, प्रत्येक प्रस्तावित नाम की पात्रता की संवीक्षा करने के बाद आयुक्त पाता है कि नियम 3 के उपनियम (1) के साथ पठित इसकी परन्तुक की पालना नहीं की जा रही है, तो वह पात्र उम्मीदवारों के नए नामों को प्रस्तुत करने के लिए एक या एक से अधिक प्रस्तावकों की अपेक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि कम से कम एक पात्र उम्मीदवार अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों दोनों के लिए प्रस्तावित है।

(3) सभी मान्य मतों की गणना करने के बाद, आयुक्त नियम 6 के उपनियम (6) तथा नियम 6 के उपनियम (7) में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करके सहयोजित के रूप में पहले दो सदस्यों को घोषित करेगा।

(4) नियम 7 के अधीन तीसरे सदस्य के सहयोजन से पूर्व आयुक्त यह देखेगा कि नियम 7 के उपनियम (3) के अधीन पहले से ही सहयोजित दो सदस्य उसी प्रवर्ग अर्थात् अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित है या नहीं है। यदि हां, तो आयुक्त पहले सुनिश्चित करेगा कि केवल उन्हीं शेष उम्मीदवारों को, जिनका निर्वाचन जिसने मतों की उच्चतम संख्या प्राप्त की है, का अवधारण करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पूर्व एक बार ड्रा ऑफ लाट्स निकालने में मतों की समानता के मामलें में नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक की उल्लघंना तो नहीं करता है। यदि नहीं, तो आयुक्त अवधारण करने की प्रक्रिया में साधारण रूप जिससे शेष उम्मीदवार के मान्य मतों की उच्चतम संख्या प्राप्त की है या मतों की समानता के मामले में एक बार ड्रा ऑफ लाट्स निकालने के लिए आगे बढ़ेगा।

प्रक्रिया का समापन

8. (1) पूर्वोक्त प्रक्रिया के समापन के बाद, आयुक्त विधिवत् सहयोजित नौ सदस्यों को घोषित करेगा तथा प्ररूप 4 में उनके सहयोजन का प्रमाणपत्र जारी करेगा। आयुक्त द्वारा सहयोजित सदस्यों की सूची प्ररूप–5 में तैयार की जाएगी तथा आयुक्त द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

(2) सहयोजन की प्रक्रिया की समाप्ति के बाद, आयुक्त उसको प्रस्तुत सभी प्ररूपों, सभी मतपत्रों (प्रयुक्त तथा अप्रयुक्त दोनों) तथा परिणाम शीट को मोहरबन्द करेगा। वह बैठक की कार्यवाहियों का रिकार्ड तैयार करेगा तथा हस्ताक्षर करेगा। आयुक्त सहयोजन की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति तक इन सभी दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

विवाद की अधिकारिता

9. किसी सदस्य का कोई सहयोजन अधिनियम तथा हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबन्धन समिति (वार्ड परिसीमन तथा निर्वाचन) नियम, 2023 के उपबन्धों के अनुसार आयुक्त के सम्मुख प्रस्तुत निर्वाचन याचिका के सिवाए प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

परिशिष्ट 1

(देखिए नियम 4(1)(2))

उपस्थिति के आधार पर सहयोजन के लिए सदस्यों का समूह–वार अनुपातिक आबंटन।

उपस्थित निर्वाचित सदस्य	प्रति समूह सदस्य (सिख महिला, साधारण, सिंह सभा)	अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग समूह सदस्य
1	2	3
40	9	13
39	9	12
38	9	11
37	9	10
36	8	12
35	8	11
34	8	10
33	8	9
32	7	11
31	7	10
30	7	9
29	7	8
28	6	10
27	6	9
26	6	8
25	6	7
24	5	9
23	5	8
22	5	7
21	5	6

प्ररूप 1

[देखिए नियम 4 (4)]

समूह तथा प्रवर्ग के गठन की सूचना

हम निम्नहस्ताक्षरी निर्वाचित सदस्य इसके द्वारा नियम 3(1)(क)/3(1)(ख)/3(1)(ग)/3(1)(घ) (केवल एक टिक करें।) में यथा विनिर्दिष्ट प्रवर्ग ..... से सिख गुरूद्वारा प्रबन्धन समिति के सदस्यों के सहयोजन के लिए समूह को बनाने के लिए सहमत है :–

क्रम संख्या	वार्ड की संख्या तथा नाम जिससे सदस्य निर्वाचित है	निर्वाचित सदस्य का नाम	हस्ताक्षर
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

समूह के नेता द्वारा हस्ताक्षरित
प्रति हस्ताक्षरित।

आयुक्त,
गुरूद्वारा निर्वाचन, हरियाणा।

प्ररूप 2

(देखिए नियम 6 तथा 7)

(3(1)(क)/3(1)(ख)/3(1)(ग)/3(1)(घ) में वर्णित प्रवर्ग में सदस्य के सहयोजन के लिए)

(प्रस्तावकों द्वारा भरा जाना है)

मैं/हम इसके द्वारा धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबन्धन समिति की सदस्यता के लिए प्रवर्ग ..... में श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ..... के नाम का प्रस्ताव करता हूं/करते हैं:–

प्रस्तावक का नाम
हस्ताक्षर
वार्ड संख्या ..... से निर्वाचित

(सदस्य के रूप में प्रस्तावित किए जाने वाले उम्मीदवार द्वारा भरा जाना है)

घोषणा

मैं, ... पुत्र/ पुत्री /पत्नी श्री .....निवासी ..... के सहयोजन के माध्यम से हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबन्धन समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित करने का ईच्छुक हूं तथा आगे घोषणा करता हूं कि मैं :–

i. पच्चीस वर्ष की आयु का हूं;

ii. भारत का नागरिक हूं;

iii. अमृतधारी सिख हूं;

iv. पतित नहीं हूं या अमृतधारी सिख होने के कारण अपनी दाढी या केस नहीं काटता हूं या हजामत नहीं करता हूं;

v. मादक पेय नहीं लेता हूं या मादक द्रव्य नहीं लेता हूं या कुथा (हलाल मांस) का प्रयोग नहीं करता हूं;

vi. विकृतचित नहीं हूं तथा सक्षम न्यायालय या चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार घोषित नहीं किया गया हूं;

vii. अनुन्मोचित दिवालिया नहीं हूं;

viii. नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का सिद्धदोष नहीं किया गया हूं या नैतिक अधमता के कारण सरकार, बोर्ड, समिति या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवा से बरखास्त नहीं किया गया हूं;

ix. किसी गुरूद्वारे का वेतन पाने वाला सेवक नहीं हूं;

x. गुरमुखी लिपि में पंजाबी पढ़ने या लिखने के योग्य हूं।

xi. साधारण/महिला/सिंह सभा अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से हूं।

(टिप्पण–: अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग से सम्बन्धित उम्मीदवारों के मामलों में सम्बन्धित प्रवर्ग का वैध प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाएगा। सिंह सभा से सम्बन्धित उम्मीदवार के मामले में उस सिंह सभा के प्रधान का नाम दर्शाते हुए सिंह सभा के गठन सहित रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाइटी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा।)

संलग्न प्रमाण पत्र .....

दिनांक : .....

प्रस्तावित उम्मीदवार के हस्ताक्षर

प्ररूप 3

(देखिए नियम 5)

सहयोजित सदस्यों के ब्यौरे

हम, इसके द्वारा धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबन्धन समिति के सदस्यों के रूप में प्रवर्ग .....के लिए श्री/श्रीमती .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... तथा प्रवर्ग ..... के लिए श्री/श्रीमती .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... को सहयोजित करते हैं :–

क्रम संख्या	सदस्यों का नाम	हस्ताक्षर
1	**2**	**3**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

स्थान.....

दिनांक.....

समूह नेता

प्रवर्ग .....

प्ररूप 4

[**देखिए नियम 8 (1)**]

सदस्य के रूप में सहयोजन का प्रमाणपत्र

संख्या : सी जी ई एच /.....

मैं, ... आयुक्त, गुरूद्वारा निर्वाचन, हरियाणा, इसके द्वारा, प्रमाणित करता हूं कि प्रवर्ग ..... से श्री/श्रीमती/कुमारी .....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ..... निवासी ..... को दिनांक..... को हुई निर्वाचित सदस्यों की बैठक के दौरान हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबन्धन समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया है तथा मैं, इसके, द्वारा सहयोजन का यह प्रमाणपत्र उसको जारी करता हूं।

स्थान .....

दिनांक : .....

आयुक्त,

गुरूद्वारा निर्वाचन, हरियाणा।

प्ररूप 5

[देखिए नियम 8 (1)]

सहयोजित सदस्यों की सूची

क्रम संख्या	सहयोजित सदस्य का नाम, पिता/पति का नाम तथा सम्पूर्ण पता	प्रवर्ग जिससे सहयोजित है
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

स्थान .....
दिनांक : .....

आयुक्त,
गुरूद्वारा निर्वाचन, हरियाणा।

सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notfication

The 29th April, 2025

No. 4/66/2023-3GEC.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) and (2) of section 52 of the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Act, 2014 (22 of 2014), the Governor of Haryana hereby makes the following rules for the co-option of members of the Haryana Sikh Gurdwaras Management Committee, namely: -

Short title.

1. These rules may be called the Haryana Sikh Gurdwaras Management Committee(Co-option of Members) Rules, 2025.

Definitions.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Act, 2014 (22 of 2014);

(b) "proposer" means a person who has been elected from any ward of the Haryana Sikh Gurdwara Management Committee and proposes a person to be co-opted;

(c) "Form" means form appended to these rules;

(d) "Category of person" means person of the different categories prescribed under clause (b) of section 4 of the Act;

(e) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;

(f) "ward" means the ward from which the elected member of the Haryana Sikh Gurdwara Management Committee has been returned;

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules shall have the same meaning as are assigned to them in the Act.

Meeting of elected members for co-option

3. (1) A meeting of the elected members shall be convened by the Commissioner in accordance with the provisions of section 14 of the Act, for the purpose of co-opting member(s) from the categories specified under clause (b) of section 4 of the Act, as detailed below, namely:-

(a) two members shall be co-opted from amongst Sikh women.

(b) three members shall be co-opted from among persons belonging to the Scheduled Castes and Backward Classes:

Provided that one member each shall be co-opted from the Scheduled Castes and the Backward Classes and the third member shall be co-opted either of the two.

(c) two members shall be co-opted from the General category, possessing extensive knowledge of Sikh tenets;

(d) two members shall be co-opted from among the Presidents of registered "Singh Sabhas" within the State.

(2) The quorum of this meeting shall be minimum twenty-one elected members.

Formation of groups

4. (1) All the elected members present in the meeting shall form themselves into four groups. Each of the three groups for co-option of members, as specified under rule 3(1) (a), 3(1) (c), and 3(1) (d), shall comprise of the same number of members and the fourth group for co-option of three members under rule 3(1)(b), shall consist of all the remaining members as provided in **Appendix-1.**

(2) In the event that one or more of the forty elected members are absent, the number of members of the four groups would be proportionately reduced as per **Appendix-1.**

(3) If the elected members are unable to voluntarily form one or more groups as per requirement of rule 4(1) above, the Commissioner shall constitute such group(s) by way of draw of lots. All decisions of the Commissioner in this regard shall be final.

(4) The senior-most member by age of each group shall be their leader. The leader of each group shall submit details of his group in **Form 1** to the Commissioner.

Co-option by consensus/majority of Group (s)

5. The Commissioner shall call upon the three group leaders to submit a list of two eligible persons to be co-opted as members for the categories mentioned in rules 3(1) (a), 3(1) (c), and 3(1) (d), in **Form 3**, duly signed by the members having a simple majority in their respective groups. For the category mentioned in rule 3(1)(b), the Commissioner shall call upon the group leader to submit, in **Form 3**, a list of three eligible persons to be co-opted as members in a manner consistent with rule 3(1)(b) including its proviso, and duly signed by a simple majority of the group.

Voting for Gourp (s) under rule 3(1)(a), 3(1)(c) and 3(1)(d)

6. (1) If one or more group leader(s) are unable to submit their list(s) as per rule 5 above, the co-option shall be carried out through a voting process for such group(s).

(2) Each member of the respective group shall be authorized to propose only one eligible candidate in **Form 2** for co-option for the category of their group.

(3) The Commissioner shall scrutinize the eligibility of every name proposed and prepare ballot papers, listing all eligible candidates for every group to each member of the respective group.

(4) Each member shall have the right to cast one vote by placing a tick mark (✓) against the name of his preferred candidate. The Commissioner shall reject proposal of the candidate if he/she does not fulfil the requisite qualifications prescribed in section 10 of the Act.

(5) He shall provide one ballot paper to each member of the respective group. In case any member ticks (✓) for more than one candidate, his vote shall be declared invalid.

(6) After counting all valid votes the Commissioner shall declare two candidates having secured more votes than all others as the co-opted members.

(7) If the strict application of rule 6(6) does not result in the co-option of one or both candidates due to an equality of votes, the Commissioner shall draw lots once or twice as necessary from amongst the candidates with equal votes, even if the number of votes is zero, to complete the co-option.

Voting for the Group under rule 3(1)(b)

7. (1) Each member of the group shall be authorized to propose only one eligible candidate in **Form 2** for co-option.

(2) If, after scrutinizing the eligibility of each proposed name, the Commissioner finds that rule 3(1)(b), read with its proviso, is not being complied with, he shall require one or more proposers to submit new names of eligible candidates, ensuring that at least one eligible candidate is proposed for both the Scheduled Castes and the Backward Classes.

(3) After counting all valid votes, the Commissioner shall first declare two members as co-opted by following the procedure laid down in rule 6(6) and rule 6(7).

(4) Before co-option of the third member under rule 7, the Commissioner shall see whether or not the already co-opted two members under rule 7(3) belong to the same category viz. Scheduled Castes or Backward Classes. If yes, the Commissioner shall first ensure that only those remaining candidates are considered whose election would not be violative of proviso to rule 3(1) (b) before going ahead with the procedure of determining who has secured the highest number of votes or, in case of equality of votes of drawing of lots once. If not, Commissioner shall simply go ahead with the procedure of determining which of the remaining candidate has secured the highest number of valid votes or in case of equality of votes, for draw of lots once.

Completion of process

8. (1) After completion of the aforesaid process, the Commissioner shall declare the nine members duly co-opted and issue certificates of co-option to them in Form-4. The list of co-opted members shall be prepared by the Commissioner in Form-5 and shall be published by the Commissioner.

(2) After the conclusion of the co-option procedure, the Commissioner shall seal all forms submitted to him, all ballot papers (both used and unused), and the result sheet. He shall prepare and sign a record of the proceedings of the meeting. The Commissioner shall retain all these documents in his custody until the expiry of one year from the date of the co-option.

Jurisdiction for dispute

9. No co-option of any member shall be called in question except by an election petition presented before the Commissioner in accordance with the provisions of the Act and the Haryana Sikh Gurdwaras Management Committee (Delimitation of Wards and Election) Rules,2023.

Appendix -1

[See rule 4 (1)(2)]

Group wise proportional allocation of members for co-option based on attendance

Elected Members Present	Members per Group (Sikh Women, General, Singh Sabhas)	Scheduled Castes/Backward Classes Group Members
40	9	13
39	9	12
38	9	11
37	9	10
36	8	12
35	8	11
34	8	10
33	8	9
32	7	11
31	7	10
30	7	9
29	7	8
28	6	10
27	6	9
26	6	8
25	6	7
24	5	9
23	5	8
22	5	7
21	5	6

Form-1

[See rule 4(4)]

INFORMATION OF FORMATION OF GROUP AND CATEGORY

We, the undersigned elected members, hereby agree to form a group for the co-option of members to the Sikh Gurdwaras Management Committee from the category _____, as specified under rule 3(1)(a)/3(1)(b)/3(1)(c)/3(1)(d) (tick only one).

Sr. No.	**No. and name of ward from which member elected**	**Name of the elected member**	**Signature**
1	**2**	**3**	**4**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

Signed Leader of the Group
Counter signed

Commissioner
Gurdwara Elections, Haryana.

Form 2

[see rule 6 & 7]

(For Co-option of member under category mentioned in rule 3(1)(a)/3(1)(b)/3(1)(c)/3(1) (d))

(To be filled by the Proposers)

I/We hereby propose the name of Sh./Smt. _____, son/daughter/wife of _____, resident of _____, under the category _____, for membership of the Haryana Sikh Gurdwaras Management Committee under clause (b) of section 4.
Name of Proposer Signature Elected from ward No.

(To be filed by the candidate to be purposed as member)

DECLARATION

I,_____ Son/Daughter/Wife of _____ R/o _____ willing to be co-opted as member of the Haryana Sikh Gurdwaras Management Committee through co-option and further declare that I.-

i. have attained the age of twenty-five years;
ii. am citizen of India;
iii. am an Amritdhari Sikh;
iv. am not a Patit or being an Amritdhari Sikh does not trim or shaves my beard or Keshas;
v. do not take alcoholic drink or take intoxicants or use Kutha (Halal meat);
vi. am not of unsound mind and has not been so declared by a competent court or medical authority;
vii. am not an undischarged insolvent;
viii. have not been convicted of an offence involving moral turpitude or have not been dismissed from service by Government, Board, Committee or any other local authority, on account of moral turpitude;
ix. am not a paid servant of any Gurdwara;
x. am able to read or write Punjabi in Gurmukhi script.
XI. am from category of General/Woman/Singh Sabha/ Scheduled Castes & Backward Classes.

(**Note:-** In cases of candidates belonging to the Scheduled Castes and Backward Classes categories, a valid certificate of the respective category shall be enclosed. In the case of a candidate belonging to a Singh Sabha, a copy of the registration certificate issued by the Registrar, Firms and Societies, along with the constitution of the Singh Sabha showing the name of the President of that Singh Sabha, shall also be submitted.)

Enclosed Certificate -_____

Date_____ Signature of the proposed candidate

Form-3

[See rule 5]

Details of co-opted member

We hereby co-opt S. _____, S/o, W/o, D/o _____ for the category _____, and S. _____, S/o, W/o, D/o _____ for the category _____ as members of the Haryana Sikh Gurdwaras Management Committee under clause (b) of Section 4, by simple majority.

Sr No	**Name of members**	**Signature**
1	**2**	**3**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

Place_____ Group Leader

Date_____

Category-_____

Form-4

[See sub rule (1) of rule 8]

CERTIFICATE OF CO-OPTION AS MEMBER

No. CGEH/

I, _____, Commissioner, Gurdwara Elections, Haryana, do hereby certify that Sh./Smt./Ms._____ S/o, W/o., D/o _____ Resident of_____from the category of _____has been co-opted as member of the Haryana Sikh Gurdwaras Management Committee during the meeting of the elected members held on _____ and I hereby issue him/her this certificate of co-option.

Place_____ Commissioner
Date_____ Gurdwara Elections, Haryana

Form 5

[See rule 8(1)]

List of Co-opted Members

Sr. No.	**Name, father's/husband's name and complete address of the Co-opted Member**	**Category from which co-opted**
1	**2**	**3**
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

Place_____
Date_____

Commissioner
Gurdwara Elections, Haryana

SUMITA MISRA
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Home Department

11827—C.S.—H.G.P., Pkl.